>

Title: Need to permit mixed land use in Lal Dora villages in Delhi.

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली):** दिल्ली के गांवों का लालडोरा वर्ष 1908-09 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था और उस समय पूरे गांव का खसरा नम्बर एक ही रखा गया था। चूंकि, उस समय तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने यह नहीं सोचा था कि आजाद भारत में कभी गांवों में भी भवन निर्माण नियम लागू किए जाएंगे। चूंकि, पूरे गांव का एक ही खसरा नम्बर है, इसलिए व्यक्तिगत स्वामित्व का दस्तावेज कोई भी ग्रामवासी आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसके अलावा स्थानीय निकाय की कुछ दूसरी शर्तें जैसे कि चौड़े और सुगम रास्ता होना भी गांव के लाल डौरे में संभव नहीं है।

दूसरे, भारत की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर ही निर्भर है और गांवों में निवास करती है। चूंकि गांववासियों का आज भी मुख्य कार्य खेती करना ही है और गांव का भूमिहीन वर्ग भी कृषि कायू से जुड़ा हुआ है। इसलिए, प्रत्येक ग्रामवासी अपने मकान, घर, गितवाड़ इत्यादि कृषि कार्यों को ध्यान मं रखकर ही बनाता है। इसलिए, ग्रामवासियों द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार मकान बना पाना नामुमकिन है।

यह भी विदित है कि चूंकि, पूरे गांव का एक ही खसरा नम्बर होता है और इस खसरा नम्बर में रहने वालों को व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए, लाल डोरा में स्थित प्लॉट, मकान पर किसी कार्य के लिए बैंकों और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा ऋण भी प्रदान नहीं किया जाता है। इस कारण से गांव वाले अपने भवन सरकार से कर्ज लेकर भी भवन निर्माण नियम के अनुसार नहीं बना पाते हैं।

यह ध्यान में लाना भी उचित है कि चूंकि, गांवों की भूमि का दिन-प्रतिदिन सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। इसलिए ग्रामों में बसे किसान और खेतिहर मजदूर दिन-प्रतिदिन बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिए गांवों में रोजगार सर्जन हेतु जमीन के मिश्रित प्रयोग की नितांत आवश्यकता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 17.1.2011 की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करके लाल डोरा एवं विस्तारित लाल डौरे में भवन निर्माण नियम लागू न किए जाने तथा गांवों के किसानों एवं खेतिहर, भूमिहीनों की बढ़ती गरीबी बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए लाल डौरे में स्थित जमीन का मिश्रित प्रयोग किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।